एनएचपीसी लिमिटेड

<u>स्टॉक एक्सचेंजों के प्रकटीकरण हेतु महत्वपूर्ण घटनाएँ/जानकारी के प्रकटीकरण पर नीति</u>

<u>(संस्करण 5.0)</u>

एनएचपीसी NHPC एक नवरत्न कंपनी

1. प्रयोज्यता

यह नीति एनएचपीसी लिमिटेड और इसकी सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू होगी।

2. वैधानिक अनिवार्यता (परिचय/ प्रस्तावना)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (“सेबी एलओडीआर”) के विनियमन 30(1) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को किसी भी घटनाओं या जानकारी का प्रकटीकरण करना होगा, जो सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल की राय में महत्वपूर्ण है।

सेबी एलओडीआर का विनियमन 30(4)(ii) स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित घटनाओं या जानकारी की भौतिकता के निर्धारण के लिए नीति तैयार करने का आदेश देता है।

तदनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ("बोर्ड") ने स्टॉक एक्सचेंजों को महत्वपूर्ण घटनाओं या जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में यह नीति अपनाई है। बोर्ड समय-समय पर इस नीति की समीक्षा और संशोधन करता है।

3. नीति, उद्देश्य एवं क्षेत्र

क. सेबी एलओडीआर की अनुसूची III के भाग क के पैरा क के अंतर्गत निर्दिष्ट महत्वपूर्ण घटनाओं या जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।

ख. सेबी एलओडीआर की अनुसूची III के भाग क के पैरा ख के अंतर्गत निर्दिष्ट घटनाओं या जानकारी का महत्वपूर्णता मानदंड के आधार पर समय पर प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।

ग. किसी संभावित महत्वपूर्ण कार्यक्रम या सूचना की पहचान करने में कंपनी के कर्मचारियों की सहायता करना तथा उक्त कार्यक्रम या सूचना की भौतिकता का निर्धारण करने तथा स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के आवश्यक प्रकटन करने के लिए अधिकृत मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को इसकी सूचना देना।

4. व्याख्या

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियां, जब तक कि इसके बाद परिभाषित न की जाएं, सेबी एलओडीआर के तहत क्रमशः उन्हें दिए गए अर्थ होंगे और इसमें परिभाषा या स्पष्टीकरण के अभाव में, समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अर्थ होंगे।

5. परिभाषाएं

"निदेशक मंडल या बोर्ड" का तात्पर्य एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल से है, जिसका गठन समय-समय पर किया जाता है।

"कंपनी" से तात्पर्य एनएचपीसी लिमिटेड से है।

"मुख्यधारा मीडिया" को सेबी एलओडीआर के विनियमन 2(1)(आरए) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

"नीति" का तात्पर्य स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं/ जानकारी की भौतिकता के निर्धारण पर नीति है।

"सेबी एलओडीआर" या "विनियमन" का अर्थ है समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम,2015।

6. स्टॉक एक्सचेंजों को घटनाओं/जानकारी का प्रकटीकरण

इस नीति की अनुसूची I और II में उल्लिखित घटनाओं या जानकारी का प्रकटन स्टॉक एक्सचेंजों को नीचे निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा:

अनुसूची I	भौतिकता जांच पर ध्यान दिए बिना स्टॉक एक्सचेंजों को अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

अनुसूची II	महत्वपूर्ण परीक्षण की पूर्ति के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण किया जाना है।

7. स्टॉक एक्सचेंजों को घटनाओं/ जानकारी के प्रकटीकरण की समयसीमा

क्रम सं	**कार्यक्रम या सूचना की प्रकृति**	**स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए निर्धारित समयसीमा**
1.	निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय से निर्गत सूचना या कार्यक्रम	निदेशक मंडल की बैठक समाप्त होने के 30 मिनट के भीतर*
2.	कंपनी के भीतर से निर्गत घटना या जानकारी	कार्यक्रम या सूचना के घटित होने से 12 घंटे के भीतर
3.	कार्यक्रम या सूचना जो कंपनी से निर्गत न हो	कार्यक्रम या सूचना के घटित होने से 24 घंटे# के भीतर

टिप्पणी:

**यदि निदेशक मंडल की बैठक उस दिन के सामान्य कारोबारी घंटों के बाद लेकिन अगले कारोबारी दिन के सामान्य कारोबारी घंटों की शुरुआत से 03 घंटे से अधिक पहले बंद हो जाती है, तो कार्यक्रम या सूचना से संबंधित निर्णय बोर्ड की बैठक के बंद होने से 03 घंटे के भीतर प्रकट किया जाएगा। यदि निदेशक मंडल की बैठक एक दिन से अधिक के लिए आयोजित की जा रही है, तो वित्तीय परिणाम उस दिन के लिए ऐसी बैठक के बंद होने से 30 मिनट या 03 घंटे (जैसा भी लागू हो) के भीतर प्रकट किए जाएंगे, जिस दिन उस पर विचार किया गया है।*

#यदि कर मुकदमेबाजी या विवाद (अनुसूची II के बिंदु सं. 8 के अनुसार) के अलावा किसी मुकदमेबाजी या विवाद के तहत सूचीबद्ध इकाई के खिलाफ किए गए दावों के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार

कंपनी के संरचित डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) में बनाए रखी जाती है, तो ऐसे दावों के संबंध में प्रकटीकरण कंपनी द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को किया जाएगा।

उपरोक्त निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्रकटीकरण में देरी होने पर, स्टॉक एक्सचेंजों को देरी के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा, कंपनी नियमित आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को पहले से प्रकट की गई घटनाओं या जानकारी पर भौतिक विकास का प्रकटीकरण करेगी, जब तक कि प्रासंगिक स्पष्टीकरण के साथ घटना का समाधान/समापन नहीं हो जाता।

8. महत्वपूर्ण मानदंड/परीक्षण

कार्यक्रम या सूचना के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर महत्ता का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष घटना या जानकारी प्रकृति में महत्वपूर्ण है, कंपनी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगी:

क. किसी कार्यक्रम या सूचना का लोप, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध कार्यक्रम या सूचना में व्यवधान या परिवर्तन होने की संभावना हो; या

ख. किसी कार्यक्रम या सूचना को छोड़ देने के परिणामस्वरूप बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना है, यदि उक्त चूक बाद में प्रकाश में आए; या

ग. किसी कार्यक्रम या सूचना का लोप, जिसका मूल्य या मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित प्रभाव, निम्न में से निम्नतर से अधिक हो:

i. कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार टर्नओवर का 2%;

ii. कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल संपत्ति का 2%, सिवाय उस स्थिति के जब निवल संपत्ति का अंकगणितीय मूल्य ऋणात्मक हो;

iii. कंपनी के पिछले तीन लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर के बाद लाभ या हानि के निरपेक्ष मूल्य के औसत का 5%; या

ऐसे मामले में जहां उप-खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं होते हैं, इस नीति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई कार्यक्रम या सूचना को महत्वपूर्ण माना जाएगा।

किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद, कंपनी सचिवालय वित्त प्रभाग के परामर्श से सीमा मूल्य (material value) के संबंध में परिपत्र जारी करेगा, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों को रिपोर्टिंग के लिए कार्यक्रम या सूचना [उपर्युक्त (ग) के अनुसार] की महत्ता के निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

9. घटनाओं/जानकारी की महत्ता के निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा/या निदेशक (वित्त) स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से कार्यक्रम या सूचना (सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी के संबंध में घटना या सूचना सहित) की महत्ता पर निर्णय लेने के लिए पृथक रूप से सक्षम प्राधिकारी होंगे।

10. रिपोर्ट की गई घटना या सूचना की पुष्टि/अस्वीकृति/स्पष्टीकरण

कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और/या कोई भी कार्यात्मक निदेशक मेनस्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट की गई किसी भी घटना या जानकारी को कन्फर्म/इनकार/क्लियर करेंगे, जो आम नहीं है और यह दिखाता है कि इन्वेस्ट करने वाले लोगों के बीच किसी खास घटना या जानकारी के आने की अफवाहें फैल रही हैं।।

11. प्रकटीकरण की प्रक्रिया

संबंधित विभाग /विभाग/पावर स्टेशन/परियोजना प्रमुख संबंधित कार्यपालक निदेशक/कार्यात्मक निदेशक के परामर्श से स्टॉक एक्सचेंजों के साथ प्रस्तुत करने के लिए प्रकटीकरण का एक मसौदा तैयार करेंगे, जिसे निदेशक (वित्त) या अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के लिए कंपनी सचिव को भेजा जाएगा। मसौदे में वह जानकारी होनी चाहिए जो सेबी एलओडीआर और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों या किसी अन्य नियम के अंतर्गत आवश्यक

हो, ताकि निवेशक सुविचारित निवेश के लिए निर्णय ले सकें। वर्तमान परिपत्र दिनांक 11.11.2024 तथा 31.12.2024 **अनुलग्नक-I** के रूप में इस नीति का हिस्सा है।

कंपनी के सभी प्रभाग/विभाग/परियोजना/पावर स्टेशन प्रमुखों को निर्धारित समय के भीतर नीति के अनुसार प्रकटीकरण करना अनिवार्य होगा।

12. वेबसाइट अद्यतन/स्टॉक एक्सचेंजों के अद्यतन

कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष नीति के अंतर्गत किए गए सभी प्रकटीकरणों को अपनी वेबसाइट पर कम से कम पांच वर्षों तक रखेगी तथा उसके बाद कंपनी की अभिलेखीय नीति के अनुसार संग्रहित करेगी।

13. नीति समीक्षा

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसी भी नियामक संशोधन या वैधानिक संशोधन का अनुपालन करने के लिए इस नीति के किसी भी प्रावधान को संशोधित/ स्थानपन्न/ प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार नीति की समीक्षा की जाएगी।

<u>अनुसूची I</u>

<u>कार्यक्रम या सूचना को स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रकट किया जाना चाहिए, चाहे वह महत्ता परीक्षण से परे हो।</u>

1. अधिग्रहण (अधिग्रहण के लिए समझौते सहित), व्यवस्था की योजना (विलय, विलयन, विभाजन या पुनर्गठन), किसी इकाई (इकाइयों), प्रभाग (विभागों) की बिक्री या निपटान, एनएचपीसी के संपूर्ण या आंशिक रूप से संपूर्ण उपक्रम (उपक्रमों) या सहायक कंपनी, एनएचपीसी की सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री या कोई अन्य पुनर्गठन।

स्पष्टीकरण (1) - इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए, 'अर्जन' शब्द का अर्थ होगा-

(i) नियंत्रण प्राप्त करना, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; नहीं तो

(ii) किसी कंपनी में शेयर या मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिग्रहण या समझौता, चाहे मौजूदा हो या निगमित किया जाए, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि -

(क) एनएचपीसी के पास उक्त कंपनी के 20% या अधिक शेयर या मतदान अधिकार हैं; अथवा

(ख) इस उप-अनुच्छेद के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप-खंड (क) के तहत किए गए अंतिम प्रकटीकरण से होल्डिंग में बदलाव आया है और इस तरह के परिवर्तन कुल शेयरधारिता या मतदान अधिकारों के 5% प्रतिशत से अधिक है उक्त कंपनी; अथवा

(ग) अधिग्रहण की लागत या जिस कीमत पर शेयरों का अधिग्रहण किया जाता है, वह उप-खंड 8(c) में विनिर्दिष्ट है।
बशर्ते कि किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में 5% या उससे अधिक शेयरों या वोटिंग अधिकारों का अधिग्रहण और इस प्रावधान के तहत किए गए अंतिम प्रकटीकरण से उक्त गैर-सूचीबद्ध कंपनी में कुल शेयरधारिता या वोटिंग अधिकारों के दो प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन, **अनुबंध-II** में दिए गए प्रारूप में तिमाही आधार पर प्रकट किया जाएगा।”

स्पष्टीकरण (2) - इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "सहायक कंपनी की बिक्री या निपटान" और "सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री" में शामिल होंगे-

(i) किसी कंपनी में शेयरों या मतदान अधिकारों की बिक्री या बिक्री के लिए एक समझौता जैसे कि कंपनी एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं रह जाती है; अथवा

(ii) किसी सहायक या सहयोगी कंपनी में शेयरों या मतदान अधिकारों की बिक्री या बिक्री के लिए एक समझौता जैसे कि बिक्री की राशि विनियमन 30 के उप-विनियमन (4) के खंड (i) के उप-खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो।

स्पष्टीकरण (3) - इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "उपक्रम" और "पर्याप्त रूप से पूरे उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अंतर्गत दिया गया है।

2. प्रतिभूतियों को जारी करना या जब्त करना, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की वापसी, प्रतिभूतियों की हस्तांतरणीयता पर कोई प्रतिबंध या मौजूदा प्रतिभूतियों की शर्तों या संरचना में परिवर्तन जिसमें जब्ती, जब्त की गई प्रतिभूतियों का पुन: निर्गम, कॉल में परिवर्तन, प्रतिभूतियों का मोचन आदि शामिल हैं।

3. नई रेटिंग (रेटिंग्स) या रेटिंग में संशोधन।

4. निदेशक मंडल की बैठकों का परिणाम: निम्नलिखित पर विचार करने के लिए प्रकटीकरण किया जाना चाहिए:

(क) लाभांश और/या नकद बोनस की सिफारिश की गई या घोषित या किसी भी लाभांश को पारित करने का निर्णय और जिस तारीख को लाभांश का भुगतान/प्रेषण किया जाएगा;

(ख) इसके कारणों के साथ लाभांश का कोई निरस्तीकरण;

(ग) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर निर्णय;

(घ) प्रतिभूतियों के निर्गम (प्रतिभूति रसीदों, प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित मुद्रा बाजार लिखतों को छोड़कर) के माध्यम से, आगे सार्वजनिक प्रस्ताव, अधिकार निर्गम, अमेरिकी डिपोजिटरी रसीदें/ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदें/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड, योग्य संस्थानों की नियुक्ति, ऋण निर्गम, अधिमान्य निर्गम या

किसी अन्य तरीके से प्रस्तावित फंड जुटाने के संबंध में निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है ।

(ङ) पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयर जारी करके पूंजी में वृद्धि, जिसमें वह तारीख भी शामिल है जिस पर ऐसे बोनस शेयर क्रेडिट/भेजे जाएंगे;

(च) जब्त किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों का पुन: जारी, या भविष्य में जारी किए जाने के लिए रिजर्व में रखे गए शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी करना या नए शेयरों या प्रतिभूतियों के किसी भी रूप या तरीके से निर्माण या किसी अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ की सदस्यता के लिए;

(छ) कॉल सहित पूंजी के किसी भी अन्य परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण;

(ज) वित्तीय परिणाम;

(झ) स्टॉक एक्सचेंज (एस) से सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्वैच्छिक डीलिस्टिंग पर निर्णय:

5. करार (अर्थात शेयरधारक करार), संयुक्त उद्यम करार (करार), परिवार निपटान करार (जिस सीमा तक यह एनएचपीसी के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), मीडिया कंपनियों के साथ करार (करार)/संधि/संविदा जो बाध्यकारी हों और सामान्य व्यवसाय के क्रम में न हों, उनका पुनरीक्षण, संशोधन (संशोधनों) और समापन(ओं) किया जा सकता है।

5.(क) शेयरधारकों, प्रवर्तकों, प्रमोटर समूह की संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, एनएचपीसी के कार्मिकों या इसकी धारिता, सहायक या सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आपस में या एनएचपीसी के साथ या किसी तीसरे पक्ष के साथ किए गए करार, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिसका उद्देश्य और प्रभाव एनएचपीसी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना या एनएचपीसी पर कोई प्रतिबंध लगाना या कोई दायित्व बनाना है, स्टाक एक्सचेंजों के समक्ष प्रकट किया जाएगा, जिसमें ऐसे समझौतों के किसी भी विखंडन, संसोधन या परिवर्तन का प्रकटीकरण भी शामिल है, चाहे एनएचपीसी ऐसे समझौतों का पक्षकार हो या नहीं।

बशर्ते कि कारोबार के सामान्य क्रम में एनएचपीसी द्वारा किए गए ऐसे करारों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिसका उद्देश्य और प्रभाव एनएचपीसी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित

नहीं करते हैं या उन्हें इन विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, शब्द "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" में ऐसे समझौतों के पक्षकारों पर दायित्व बनाने वाले समझौते शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएचपीसी किसी विशेष तरीके से कार्य करेगा या नहीं।

6. किसी सूचीबद्ध संस्था, उसके प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन या सहायक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी या चूक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटर या एनएचपीसी के निदेशक की गिरफ्तारी, चाहे वह भारत के भीतर या विदेश में हुई हो:

इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए:

(i) 'धोखाधड़ी' में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विनियमन 2 (1) (ग) के तहत परिभाषित धोखाधड़ी शामिल होगी।

(ii) 'चूक' का अर्थ उस तिथि को ब्याज या मूल राशि का पूर्ण भुगतान न करना होगा, जब ऋण देय हो गया हो।

स्पष्टीकरण 1- नकद ऋण जैसी परिक्रामी (रिवाल्विंग) सुविधाओं के मामले में, यदि बकाया राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से तीस दिनों से अधिक समय तक लगातार अधिक रहती है, तो एंटिटी को "चूक" माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2- प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, सहायक कंपनी द्वारा चूक का अर्थ ऐसी चूक होगा जिसका एनएचपीसी पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है।

स्पष्टीकरण 3- प्रमोटर, निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के अलावा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की गई धोखाधड़ी का खुलासा केवल तभी किया जाना आवश्यक होगा जब यह कंपनी के संबंध में हो।

7. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), वरिष्ठ प्रबंधन, लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन।

7(क). लेखापरीक्षक के त्यागपत्र की स्थिति में, उक्त लेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र के विस्तृत कारणों को स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष यथाशीघ्र, परंतु लेखा परीक्षक से ऐसे कारणों की प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर प्रकट किया जाएगा।

7(ख) त्यागपत्र के कारणों सहित स्वतंत्र निदेशक का त्यागपत्र, एनएचपीसी के किसी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र की स्थिति में, त्यागपत्र की तारीख से सात दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे:

(i) उक्त निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के साथ त्यागपत्र के विस्तृत ।

(ii) उन सूचीबद्ध एंटिटी के नाम जिनमें त्यागपत्र देने वाला निदेशक निदेशक पद पर है, जिसमें निदेशक पद की श्रेणी और बोर्ड समितियों की सदस्यता, यदि कोई हो, का उल्लेख हो।

(iii) स्वतंत्र निदेशक को विस्तृत कारणों के साथ यह पुष्टि भी करनी होगी कि बताए गए कारणों के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं है।

(iv) उपर्युक्त स्वतंत्र निदेशक द्वारा दी गई पुष्टि को उप-खण्ड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरणों के साथ स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रकट किया जाएगा।

7(ग) स्वतंत्र निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या निदेशक के त्यागपत्र की स्थिति में, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों सहित त्यागपत्र को ऐसे त्यागपत्र के प्रभावी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किया जाएगा।

7(घ) यदि एनएचपीसी के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी नब्बे दिनों की किसी भी रोलिंग अवधि में पैंतालीस दिनों से अधिक समय तक नियमित रूप से भूमिका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्वस्थ या अनुपलब्ध थे, तो ऐसी अस्वस्थता या अनुपलब्धता के कारणों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किया जाएगा।

8. शेयर ट्रांसफर एजेंट की नियुक्ति या नियुक्ति समाप्ति।

9. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना/पुनर्गठन जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

(i) ऋण/उधार का समाधान शुरू करने का निर्णय;

(ii) ऋणदाताओं द्वारा अंत: लेनदार समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर;

(iii) समाधान योजना को अंतिम रूप देना;

(iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन;

(v) ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित समाधान/पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताएं, जिनमें वाणिज्यिक गुप्तता शामिल नहीं हैं।

10. बैंक के साथ एकमुश्त निपटान

11. किसी भी पक्ष / लेनदार द्वारा प्रस्तुत की गई समापन याचिका

12. सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या लेनदारों या उनके किसी भी वर्ग को नोटिस, कॉल लेटर, संकल्प और परिपत्र जारी करना या मीडिया में विज्ञापित करना।

13. एनएचपीसी की वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही।

14. एनएचपीसी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन, संक्षेप में।

15. (क) (i) विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक का कार्यक्रम कम से कम दो कार्य दिवस पहले (सूचना की तिथि और बैठक की तिथि को छोड़कर) और विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण।

(ii) विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक, आय के बाद की बैठक या तिमाही कॉल के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा तैयार प्रस्तुतियों का खुलासा ऐसे आयोजनों के शुरू होने से पहले मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1: इस खंड के प्रयोजन के लिए 'बैठक' का तात्पर्य भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यम से आयोजित समूह बैठकों या समूह कॉन्फ्रेंस कॉल से है।

स्पष्टीकरण 2: विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक की अनुसूची में नामों का खुलासा सूचीबद्ध इकाई के लिए वैकल्पिक होगा।

(ख) पोस्ट अर्निंग/तिमाही बैठक की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपि, चाहे किसी भी नाम से हो, भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यम से, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को प्रस्तुत करने के साथ-साथ, निम्नलिखित तरीके से:

(i) ऑडियो रिकॉर्डिंग तुरंत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और किसी भी मामले में, अगले कारोबारी दिन से पहले या ऐसी बैठक (कॉल) के समापन से चौबीस घंटे के भीतर, जो भी पहले हो; उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ii) वीडियो रिकॉर्डिंग, यदि कोई हो, ऐसी कॉल के समापन से 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी;

(iii) ऐसी कॉलों की प्रतिलिपियाँ वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी तथा साथ ही ऐसी कॉलों के समापन के पांच कार्य दिवसों के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

16. दिवाला संहिता के तहत सूचीबद्ध कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में निम्नलिखित घटनाएँ:

(क) कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा सीआईआरपी आरंभ करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, जिसमें चूक की राशि भी विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए;

(ख) कॉर्पोरेट देनदार के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने के लिए वित्तीय लेनदारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना, जिसमें चूक की राशि भी विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए;

(ग) न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन की स्वीकृति, साथ ही चूक या अस्वीकृति या वापसी की राशि, जैसा भी लागू हो;

(घ) दिवाला संहिता की धारा 13 के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में की गई सार्वजनिक घोषणा;

(ड़) आईबीबीआई (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 13(2)(ग) के अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले लेनदारों की सूची;

(च) समाधान पेशेवर की नियुक्ति/प्रतिस्थापन;

(छ) ऋणदाताओं की समिति की बैठकों की पूर्व या पश्चातवर्ती सूचना;

(ज) आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36क(5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र में दिवालियापन संहिता की धारा 25(2)(ज) के अंतर्गत समाधान योजनाओं के आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण;

(झ) समाधान पेशेवर द्वारा प्राप्त समाधान योजनाओं की संख्या;

(ट) न्यायाधिकरण के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करना;

(ठ) न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन अथवा अस्वीकृति, यदि लागू हो;

(ड) दिवाला संहिता के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की विशिष्ट विशेषताएं और विवरण, जिसमें वाणिज्यिक गोपनीयता शामिल न हों, जिनमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

(i) कंपनी की पूर्व और पश्चात निवल संपत्ति;

(ii) सीआईआरपी के पश्चात कंपनी की परिसंपत्तियों का ब्यौरा;

(iii) कंपनियों की परिसंपत्तियों पर लगाए जाने वाले प्रतिभूतियों का ब्यौरा;

(iv) कंपनी पर लगाए गए अन्य भौतिक दायित्व;

(v) परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के 100% रूपांतरण को मानते हुए विस्तृत पूर्व और पश्चात शेयरधारिता पैटर्न;

(vi) कंपनी में निवेशित निधियों, चुकता किए गए लेनदारों का ब्यौरा;

(vii) लेनदेन के कारण आने वाले निवेशकों पर अतिरिक्त देयता, ऐसे वित्तपोषण का स्रोत आदि;

(viii) निवेशक पर प्रभाव - संशोधित पी/ई, आरओएनडब्ल्यू अनुपात आदि;

(ix) नए प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के नाम, यदि कोई हो और व्यवसाय या रोजगार में उनका पिछला अनुभव। ऐसे मामले में जहां प्रमोटर कंपनियां हैं, ऐसी कंपनी का इतिहास और नियंत्रण में प्राकृतिक व्यक्तियों के नाम;

(x) व्यवसाय संबंधी कार्यनीति का संक्षिप्त विवरण।

(ढ) कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें वाणिज्यिक गोपनीयता शामिल न हो।

(ण) एमपीएस को प्राप्त करने के लिए आने वाले निवेशक/अधिग्रहणकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम;

(त) एमपीएस प्राप्ति की स्थिति का त्रैमासिक प्रकटीकरण;

(थ) समाधान योजना में अनुमोदित डीलिस्टिंग योजनाओं का ब्यौरा, यदि कोई हो।

17. फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत: फोरेंसिक ऑडिट (चाहे किसी भी नाम से जाना हो) की शुरुआत के मामले में, स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे:

(क) फोरेंसिक ऑडिट शुरू करने का तथ्य, साथ ही ऑडिट शुरू करने वाली संस्था का नाम और इसके कारण, यदि उपलब्ध हों;

(ख) अंतिम फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शुरू की गई फोरेंसिक ऑडिट को छोड़कर) एनएचपीसी द्वारा प्राप्त होने पर प्रबंधन की टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हो।

स्पष्टीकरण - इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, फोरेंसिक ऑडिट से तात्पर्य उन ऑडिट से है, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो वित्तीय विवरणों में किसी भी गलत विवरण, धन के दुरुपयोग, गबन या विचलन का पता लगाने के उद्देश्य से शुरू किए जाते हैं और इसमें उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रथाओं, विनिर्माण प्रथाओं, भर्ती प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया (खरीद सहित) या अन्य समान मामलों जैसे मामलों का ऑडिट शामिल नहीं है, जिनके लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा प्रकट किए गए वित्तीय विवरणों में किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

18. एनएचपीसी के निदेशकों, प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा किसी घटना या सूचना के संबंध में सोशल मीडिया मध्यस्थों या मुख्यधारा के मीडिया के माध्यम से घोषणा या संचार, जो इन विनियमों के विनियम 30 के संदर्भ में सूचीबद्ध एंटिटी के लिए महत्वपूर्ण है और पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

स्पष्टीकरण - "सोशल मीडिया मध्यस्थों" का वही अर्थ होगा जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत परिभाषित किया गया है।

19. एनएचपीसी या इसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटर या सहायक कंपनी के विरुद्ध एनएचपीसी के संबंध में, निम्नलिखित के संबंध में किसी भी विनियामक, सांविधिक, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश,:

क) तलाशी या जब्ती; या

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 130 के अंतर्गत लेखों को पुनः खोलना; या

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIV के प्रावधानों के अंतर्गत जांच; साथ ही शुरू की गई, की गई कार्रवाई या पारित आदेशों से संबंधित निम्नलिखित विवरण:

(i) प्राधिकरण का नाम;

(ii) शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश की प्रकृति और ब्यौरा;

(iii) निर्देश या आदेश की प्राप्ति की तिथि, जिसमें कोई अंतरिम या अंतरिम आदेश या प्राधिकरण से कोई अन्य संचार शामिल है;

(iv) किए गए या किए जाने का आरोप लगाए गए उल्लंघन/उल्लंघन का ब्यौरा;

(v) सूचीबद्ध एंटिटी की वित्तीय, प्रचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, जहां तक संभव हो मौद्रिक रूप में मात्रात्मक।

20. एनएचपीसी या इसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटर या सहायक कंपनी के विरुद्ध एनएचपीसी के संबंध में, निम्नलिखित के संबंध में किसी भी विनियामक, सांविधिक, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा की गई कार्रवाई या पारित आदेश,:

क) निलंबन;

ख) जुर्माना या दंड लगाना;

ग) कार्यवाही का निपटारा;

घ) निषेध;

ङ) अयोग्यता;

च) प्रचालन बंद करना;

छ) लगाया गया प्रतिबंध;

ज) चेतावनी या सावधानी; या

झ) कोई अन्य समान कार्रवाई(या कार्रवाईयाँ), चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो; शुरू की गई, की गई कार्रवाई या पारित आदेशों से संबंधित निम्नलिखित विवरण के साथ:

(i) प्राधिकरण का नाम;

(ii) की गई, शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश की प्रकृति और ब्यौरा;

(iii) निर्देश या आदेश की प्राप्ति की तिथि, जिसमें कोई अंतरिम या अंतरिम आदेश या प्राधिकरण से कोई अन्य संचार शामिल है;

(iv) किए गए या किए जाने का आरोप लगाए गए उल्लंघन/उल्लंघन का ब्यौरा;

(vi) सूचीबद्ध एंटिटी की वित्तीय, प्रचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, जहां तक संभव हो मौद्रिक रूप में मात्रात्मक।

स्पष्टीकरण - जुर्माना या दंड लगाने का खुलासा उप-अनुच्छेद में उल्लिखित की गई कार्रवाई या पारित आदेशों से संबंधित विवरण के साथ निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

(i) क्षेत्रीय नियामक या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा लगाए गए एक लाख रुपये या उससे अधिक के जुर्माने या दंड का खुलासा और अन्य प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा लगाए गए दस लाख रुपये या उससे अधिक के जुर्माने या दंड का खुलासा चौबीस घंटे के भीतर किया जाएगा।

(ii) लगाए गए जुर्माने या दंड का खुलासा जो कि उपर खंड (i) में निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा से कम है, त्रैमासिक आधार पर **अनुलग्नक-III** में दिए गए प्रारूप में किया जाएगा।

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अंतर्गत वित्तीय विवरण या निदेशक मंडल की रिपोर्ट का स्वैच्छिक संशोधन।

अनुसूची II

महत्वपूर्ण जांच (Material टेस्ट) **की पूर्ति के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाने वाली घटना या सूचना।**

1. किसी यूनिट/प्रभाग के वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक प्रचालनों का प्रारंभ होना या उनके प्रारंभ होने की तिथि में कोई स्थगन।

2. एनएचपीसी से संबंधित निम्नलिखित में से कोई भी घटना:

   क. कार्यनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) के इंतजामों, या विपणन गठजोड़ (मार्केटिंग टाई-अप),या

   ख. नया कारोबार अपनाने या

   ग. किसी यूनिट / डिवीज़न के कार्यों (ऑपरेशन्स) के बंद होने (पूरी तरह से या थोड़ा- थोड़ा करके)

3. क्षमता बढ़ना या नया प्रोडक्ट लाना।

4. ऑर्डर/कॉण्ट्रैक्ट देना, लेना / प्राप्त करना, दिए गए /लिए गए ऑर्डर/कॉण्ट्रैक्ट में बदलाव करना या उन्हें समाप्त करना कामकाज का सामान्य हिस्सा न हो।

5. करार [जैसे उधार-करार या कोई अन्य करार जो बाध्यकारी हों और जो कारबार के सामान्य कामकाज में न आते हों] और उनका (उनके) पुनरीक्षण या उनका (उनके) संशोधन या उनकी समाप्ति ।

6. प्राकृतिक विपत्ति (भूकंप, बाढ, आग, आदि), अनिवार्य बाध्यता या हडताल, तालाबंदी, आदि जैसी घटनाओं के कारण सूचीबद्ध एंटिटी की किसी एक या एक से अधिक यूनिटों या किसी डिवीज़न के प्रचालनों में विघ्न।

7. एनएचपीसी पर लागू विनियामक प्रावधानों में परिवर्तन की वजह से पड़े प्रभाव।

8. किसी मुकदमे या विवाद (दों) का लंबित होना या उसका परिणाम जिसका एनएचपीसी पर प्रभाव पड़ सकता हो। चल रहे कर मुकदमों या विवादों पर अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक -IV** में दिए गए प्रारूप में तिमाही आधार पर प्रकट की जाएगी।

9. एनएचपीसी के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी या चूक जिसका एनएचपीसी पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है।

10. किसी भी ईएसओपी/ईएसपीएस स्कीम सहित प्रतिभूतियों को खरीदने के विकल्प।

11. किसी भी तीसरे पक्ष के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति देना या ज़मानत बनना, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।

12. मुख्य अनुज्ञप्तियाँ (लाइसेंस) या विनियामक अनुमोदन प्रदान किया जाना, उन्हें वापस लिया जाना, उन्हें अभ्यर्पित (सरेंडर) किया जाना, रद्द या निलंबित किया जाना

13. किसी भी विनियामक, सांविधिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकरण को जुर्माना, दंड, बकाया आदि के भुगतान में देरी या चूक।

अनुलग्नक-I

स्टॉक एक्सचेंजों को घटनाएँ/जानकारी का प्रकटीकरण करते समय प्रदान किए जाने वाले विवरण

क) **नीति की अनुसूची I में निर्दिष्ट जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है उन कार्यक्रमों के लिए प्रकटीकरण के आवश्यक विवरण**

1. **अर्जन (जिनमें अर्जन किए जाने का करार सम्मिलित है), इंतेजाम की स्कीम (अमैलगमेशन/विलय/अविलयन/पुनर्सरंचना), किसी इकाई(ओं), प्रभाग(ओं), संपूर्ण या मूलतः सूचीबद्ध इकाई के उपक्रम(ओं) अथवा सहायक कंपनी की बिक्री या निपटान, सूचीबद्ध इकाई की सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री अथवा कोई अन्य पुनर्सरंचना:**

1.1. **अर्जन (जिनमें अर्जन किए जाने का करार सम्मिलित है):**

क) लक्षित एंटीटी का नाम, आकार, कारोबार आदि जैसे संक्षिप्त विवरण;

ख) क्या अधिग्रहण संबंधित पक्ष लेन-देन के अंतर्गत आएगा और क्या प्रमोटर/प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों का अधिग्रहित की जा रही एंटीटी में कोई हित है? यदि हां, तो हित की प्रकृति और उसका विवरण और क्या यह "आर्म लेंथ" पर किया जाता है;

ग) वह उद्योग जिससे अधिग्रहित की जा रही एंटीटी संबंधित है;

घ) अधिग्रहण के उद्देश्य और प्रभाव (लक्ष्य इकाई के अधिग्रहण के कारणों का खुलासा, यदि उसका व्यवसाय सूचीबद्ध एंटीटी के मुख्य व्यवसाय से बाहर है, सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं);

ङ) अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण;

च) अधिग्रहण के पूरा होने की सांकेतिक समय अवधि;

छ) प्रतिफल - क्या नकद प्रतिफल या शेयर स्वैप या कोई अन्य रूप और उसका विवरण;

ज) अधिग्रहण की लागत और/या वह मूल्य जिस पर शेयर अधिग्रहित किए गए हैं;

झ) अधिग्रहित शेयरधारिता/नियंत्रण का प्रतिशत और/या अधिग्रहित शेयरों की संख्या;

ट) अधिग्रहीत उत्पादों/व्यवसाय की लाइन के संदर्भ में अधिग्रहीत इकाई के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि, निगमन की तारीख, पिछले 3 वर्षों के कारोबार का इतिहास, वह देश जिसमें अधिग्रहीत इकाई की उपस्थिति है और कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में);

1.1.क. 'निगमित होने वाली' कंपनियों का अधिग्रहण:

क) एंटीटी का नाम, निगमन की तिथि और देश, आदि;

ख) निगमित कंपनी की होल्डिंग कंपनी का नाम और सूचीबद्ध एंटीटी के साथ संबंध;

ग) वह उद्योग जिससे निगमित इकाई संबंधित है;

घ) उत्पादों / व्यवसाय की दृष्टि से निगमित एंटीटी के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि;

ङ) निगमन के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या विनियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण;

च) प्रतिफल की प्रकृति - क्या नकद प्रतिफल या शेयर स्वैप और उसका विवरण;

छ) सदस्यता की लागत / वह मूल्य जिस पर शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं;

ज) सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा शेयरधारिता / नियंत्रण का प्रतिशत और / या आवंटित शेयरों की संख्या।

1.2. अमैलगमेशन/विलय:

क) समामेलन/विलय का हिस्सा बनने वाली एंटीटी(यों) का नाम, आकार, टर्नओवर आदि जैसे संक्षिप्त विवरण;

ख) क्या लेन-देन संबंधित पक्ष लेन-देन के अंतर्गत आएगा? यदि हाँ, तो क्या यह "आर्म लेंथ" पर किया जाता है;

ग) एंटीटी(यों) के व्यवसाय का क्षेत्र;

घ) समामेलन/विलय के लिए तर्क;

ङ) नकद प्रतिफल के मामले में - राशि या अन्यथा शेयर विनिमय अनुपात;

च) सूचीबद्ध एंटीटी के शेयरधारिता पैटर्न (यदि कोई हो) में परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण।

1.3. अविलयन:

क) विलयन किए जाने वाले प्रभाग(विभागों) का संक्षिप्त विवरण;

ख) विलयन किए जाने वाले प्रभाग का कारोबार तथा सूचीबद्ध इकाई के कुल कारोबार का प्रतिशत, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में/पिछले वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर;

ग) विलयन का औचित्य;

घ) सभी इकाइयों के शेयरधारिता पैटर्न (यदि कोई हो) में परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण;

इ) नकद प्रतिफल के मामले में - राशि या अन्यथा शेयर विनिमय अनुपात;

च) क्या परिणामी इकाई के लिए सूचीबद्धता की मांग की जाएगी।

1.4. **किसी इकाई(ओं), प्रभाग(ओं), संपूर्ण या मूलतः सूचीबद्ध एंटीटी के उपक्रम(ओं) अथवा सहायक कंपनी की बिक्री या निपटान, सूचीबद्ध एंटीटी की सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री**

क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध एंटीटी की ऐसी इकाई या प्रभाग या उपक्रम या सहायक या सहयोगी कंपनी द्वारा योगदान किए गए टर्नओवर या राजस्व या आय और निवल मूल्य की राशि और प्रतिशत;

ख) वह तिथि जिस पर बिक्री के लिए समझौता किया गया है;

ग) बिक्री/निपटान के पूरा होने की अपेक्षित तिथि ;

घ) ऐसी बिक्री/निपटान से प्राप्त प्रतिफल;

ङ) खरीदारों का संक्षिप्त विवरण और क्या कोई खरीदार प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों से संबंधित है। यदि हां, तो उसका विवरण;

च) क्या लेनदेन संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या यह "आर्म लेंथ" पर किया गया है;

छ) क्या उपक्रम की बिक्री, पट्टा या निपटान व्यवस्था की योजना के बाहर है? यदि हां, तो एलओडीआर विनियमन के विनियमन 37क के अनुपालन सहित उसका विवरण।

ज) इसके अतिरिक्त, मंदी की बिक्री के मामले में, समामेलन/विलय के लिए प्रदान किए गए सांकेतिक खुलासे, ऐसी मंदी की बिक्री के संबंध में सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा प्रकट किए जाएंगे।

इस उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए, "मंदी बिक्री" का अर्थ होगा, बिक्री के परिणाम स्वरूप एक या एक से अधिक उपक्रमों का एकमुश्त प्रतिफल के लिए हस्तांतरण, जिसमें ऐसी बिक्री में व्यक्तिगत परिसंपत्तियों और देनदारियों को मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

1.5. अन्य पुनःसंरचना

क) पुनःसंरचना के विवरण और कारण;

ख) पुनःसंरचना का मात्रात्मक और/या गुणात्मक प्रभाव;

ग) ऐसे प्रस्तावित पुनःसंरचना से प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों को होने वाले लाभ का विवरण, यदि कोई हो;

घ) सभी संस्थाओं के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो)।

2. प्रतिभूतियों का जारी करना या जब्त करना, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की खरीद, प्रतिभूतियों की हस्तांतरणीयता पर कोई प्रतिबंध या जब्ती सहित मौजूदा प्रतिभूतियों

की शर्तों या संरचना में परिवर्तन, जब्त प्रतिभूतियों का पुनः जारी करना, कॉल में परिवर्तन, प्रतिभूतियों का मोचन आदि।

2.1. प्रतिभूतियाँ जारी करना:

क) जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रतिभूतियों का प्रकार (अर्थात इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय आदि);

ख) जारी करने का प्रकार (आगे सार्वजनिक पेशकश, अधिकार निर्गम, डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर/जीडीआर), योग्य संस्थान प्लेसमेंट, अधिमान्य आवंटन आदि);

ग) जारी किए जाने वाले प्रस्तावित प्रतिभूतियों की कुल संख्या या कुल राशि जिसके लिए प्रतिभूतियाँ जारी की जाएंगी (लगभग);

घ) अधिमान्य निर्गम के मामले में सूचीबद्ध एंटीटी स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रकट करेगी:

i. निवेशकों के नाम;

ii. प्रतिभूतियों के आवंटन के बाद - सब्स्क्रिप्शन का परिणाम, निर्गम मूल्य/आबंटित मूल्य (परिवर्तनीय के मामले में), निवेशकों की संख्या;

iii. परिवर्तनीय के मामले में - प्रतिभूतियों के परिवर्तन या लिखत की अवधि समाप्त होने की सूचना;

ड़ बोनस निर्गम के मामले में सूचीबद्ध इकाई को स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के समक्ष निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रकट करना होगा:

i. क्या बोनस मुनाफे या शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए मुक्त भंडार से है;

ii. बोनस अनुपात;

iii. शेयर पूंजी का ब्यौरा - बोनस जारी करने से पहले और बाद में;

iv. बोनस जारी करने के लिए आवश्यक मुक्त भंडार और/या शेयर प्रीमियम;

v. पूंजीकरण के लिए उपलब्ध मुक्त भंडार और/या शेयर प्रीमियम और वह तिथि जिस पर ऐसा शेष उपलब्ध है;

vi. क्या उपर्युक्त आंकड़े ऑडिट किए गए हैं;

vii. अनुमानित तिथि जिसके द्वारा ऐसे बोनस शेयर जमा/प्रेषित किए जाएंगे;

च डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर/जीडीआर) या एफसीसीबी जारी करने के मामले में सूचीबद्ध एंटीटी को स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के समक्ष निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रकट करना होगा:

i. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी सूचीबद्ध हैं (प्रारंभिक-समापन स्थिति)/सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव;

ii. एडीआर/जीडीआर के अंतर्गत या एफसीसीबी के रूपांतरण पर प्रस्तावित इक्विटी शेयरों की संख्या;

iii. एफसीसीबी के प्रस्तावित आवंटन की तिथि, अवधि, परिपक्वता की तिथि और प्रस्तावित कूपन, यदि कोई हो;

iv. एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी का निर्गम मूल्य (रूपांतरण दर पर विचार करने के बाद अमरीकी डॉलर और भारतीय रुपये में);

v. एफसीसीबी के संदर्भ में परिवर्तन, यदि कोई हो;

vi. एफसीसीबी पर कूपन के भुगतान में सूचीबद्ध इकाई द्वारा चूक का विवरण, यदि कोई हो, और चूक के संबंध में बाद के अपडेट, जिसमें किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण शामिल है (यदि कोई हो)

छ ऋण प्रतिभूतियों या अन्य गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के जारी करने के मामले में सूचीबद्ध एंटीटी को स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के समक्ष निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रकट करना होगा:

i. निर्गम का आकार;

ii. क्या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो स्टॉक एक्सचेंज(ओं) का नाम;

iii. उपकरण की अवधि - आवंटन की तिथि और परिपक्वता की तिथि;

iv. प्रस्तावित कूपन/ब्याज, कूपन/ब्याज और मूलधन के भुगतान की अनुसूची;

v. परिसंपत्तियों पर बनाया गया प्रभार/सुरक्षा, यदि कोई हो;

vi. उपकरण से जुड़े विशेष अधिकार/ब्याज/विशेषाधिकार और उनमें परिवर्तन;

vii. देय तिथि से तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए ब्याज/मूलधन के भुगतान में देरी या ब्याज/मूलधन के भुगतान में चूक;

viii. देय तिथियों पर ब्याज, मूलधन के भुगतान/गैर-भुगतान या प्रतिभूति और/या परिसंपत्तियों से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में किसी पत्र या टिप्पणी का विवरण, साथ ही उस पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों;

ix. वरीयता शेयरों के मोचन का विवरण जिसमें मोचन का तरीका (लाभ से या नए निर्गम से) और डिबेंचर का संकेत दिया गया हो;

ज प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रस्ताव को इसके कारणों सहित रद्द या समाप्त करना ।

2.2. शेयरों का विभाजन/समेकन:

क) विभाजन/समेकन अनुपात;

ख) विभाजन/समेकन के पीछे तर्क;

ग) पूर्व और पश्चात शेयर पूंजी - अधिकृत, चुकता और अभिदत्त;

घ) पूरा होने का अपेक्षित समय;

ङ) शेयरों का वर्ग जो समेकित या उपविभाजित हैं;

च) विभाजन या समेकन से पूर्व और पश्चात प्रत्येक वर्ग के शेयरों की संख्या;

छ) उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें समेकन में कोई शेयर नहीं मिला और उनकी समेकन पूर्व शेयरधारिता।

2.3. प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद (बाए बैक):

क) पुनर्खरीद के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों की संख्या;

ख) मौजूदा चुकता पूंजी के प्रतिशत के रूप में पुनर्खरीद के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों की संख्या;

ग) पुनर्खरीद मूल्य;

घ) वापस खरीदी गई मौजूदा चुकता पूंजी के प्रतिशत और संख्या में वास्तविक प्रतिभूतियाँ;

ङ) शेयरधारिता से पहले और बाद का पैटर्न।

2.4. प्रतिभूतियों की हस्तांतरणीयता पर कोई प्रतिबंध:

क) संलग्नक या निषेधात्मक आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी;

ख) संलग्नक या निषेधात्मक आदेश का संक्षिप्त विवरण और कारण;

ग) पंजीकृत धारकों का नाम जिनके विरुद्ध हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंध लगाया गया है;

घ) प्रभावित प्रतिभूतियों की कुल संख्या;

ङ) ऐसी प्रतिभूतियों की विशिष्ट संख्या, यदि लागू हो;

च) वह अवधि जिसके लिए आदेश लागू होगा (यदि बताया गया हो)।

2.5. **कोई भी कार्रवाई, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी मौजूदा प्रतिभूतियों की शर्तों या संरचना में परिवर्तन होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:**

क) शेयरों की जब्ती;

ख) जब्त शेयरों या प्रतिभूतियों का पुनः निर्गम, या भविष्य में निर्गम के लिए आरक्षित रखे गए शेयरों या प्रतिभूतियों का निर्गम या किसी भी रूप या तरीके से नए शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ का सृजन;

ग) प्रतिभूतियों के किसी भी वर्ग को जारी करने का प्रस्ताव;

घ) कॉल सहित पूंजी में परिवर्तन;

ङ) सूचीबद्ध इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति के पूर्ण या आंशिक रूप से मोचन/रद्दीकरण/सेवानिवृत्ति से संबंधित शर्तों में परिवर्तन।

3. नई रेटिंग या रेटिंग में संशोधन

सूचीबद्ध एंटीटी स्टॉक एक्सचेंज को सूचीबद्ध इकाई के किसी ऋण साधन या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या सूचीबद्ध एंटीटी की किसी योजना या प्रस्ताव को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई किसी भी नई रेटिंग या रेटिंग में संशोधन का विवरण अधिसूचित करेगी, जिसमें भारत या विदेश में धन जुटाना शामिल है। रेटिंग में गिरावट के मामले में, सूचीबद्ध एंटीटी को रेटिंग एजेंसी द्वारा इस तरह के गिरावट के संशोधन के लिए दिए गए कारणों की भी जानकारी देनी होगी।

रेटिंग प्रकट करने की उपरोक्त आवश्यकता निम्नलिखित पर भी लागू होगी:

क) रेटिंग में संशोधन, भले ही सूचीबद्ध इकाई द्वारा इसके लिए अनुरोध न किया गया हो या बाद में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अनुरोध वापस ले लिया गया हो।

ख) रेटिंग स्कोर में संशोधन के बिना भी रेटिंग आउटलुक में संशोधन।

ग) पंजीकृत ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं द्वारा ईएसजी रेटिंग।

4. निदेशक मंडल की बैठकों का परिणाम: सूचीबद्ध एंटीटी निम्नलिखित पर विचार करने या निर्णय लेने के लिए आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों के परिणाम की सूचना एक्सचेंज को देगी:

4.1. अनुशंसित या घोषित लाभांश और/या नकद बोनस या किसी लाभांश को पारित करने का निर्णय और वह तिथि जिस पर लाभांश का भुगतान/प्रेषण किया जाएगा;

4.2. इसके कारणों सहित लाभांश को रद्द करना;

4.3. प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर निर्णय;

4.4. प्रस्तावित निधि जुटाने के संबंध में निर्णय;

4.5. पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयरों के निर्गम द्वारा पूंजी में वृद्धि, जिसमें वह तिथि शामिल है जिस पर ऐसे बोनस शेयर जमा/प्रेषित किए जाएंगे;

4.6. जब्त शेयरों या प्रतिभूतियों का पुनः निर्गम, या भविष्य के निर्गम के लिए आरक्षित शेयरों या प्रतिभूतियों का निर्गम या किसी भी रूप या तरीके से नए शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ का सृजन;

4.7. कॉल सहित पूंजी के किसी अन्य परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण;

4.8. वित्तीय परिणाम;

4.9. स्टॉक एक्सचेंज(ओं) से सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा स्वैच्छिक डीलिस्टिंग पर निर्णय;

निदेशक मंडल की बैठक के परिणाम की सूचना में बैठक के प्रारंभ और समापन का समय भी शामिल होगा।

5. **ऐसे समझौते (जैसे शेयरधारक समझौते, संयुक्त उद्यम समझौते, पारिवारिक निपटान संबंधी समझौते (इस सीमा तक कि यह सूचीबद्ध एंटीटी के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), मीडिया कंपनियों के साथ समझौते/संधि/अनुबंध) जो बाध्यकारी हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, उनका संशोधन या संशोधन और समाप्ति:**

5.1. उन पक्षों का नाम जिनके साथ समझौता किया गया है;

5.2. समझौता करने का उद्देश्य;

5.3. उस इकाई में शेयरधारिता, यदि कोई हो, जिसके साथ समझौता किया गया है;

5.4. समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें (संक्षेप में) विशेष अधिकार जैसे निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार, शेयर जारी करने के मामले में शेयर सदस्यता का पहला अधिकार, पूंजी संरचना आदि में किसी भी बदलाव को प्रतिबंधित करने का अधिकार;

5.5. क्या, उक्त पक्ष किसी भी तरह से प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हां, तो रिश्ते की प्रकृति;

5.6. क्या लेनदेन संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या यह "आर्म लेंथ" पर किया जाता है;

5.7. पक्षों को शेयर जारी करने के मामले में, जारी मूल्य का विवरण, जारी किए गए शेयरों का वर्ग;

5.8 ऐसे समझौतों से संबंधित कोई अन्य खुलासा, जैसे सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में नामित व्यक्ति का विवरण, ऐसे समझौतों से उत्पन्न होने वाले संभावित हितों का टकराव, आदि;

5.9. समझौते की समाप्ति या संशोधन के मामले में, सूचीबद्ध एंटीटी स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को अतिरिक्त विवरण प्रकट करेगी:

क) समझौते के पक्षों का नाम;

ख) समझौते की प्रकृति;

ग) समझौते के निष्पादन की तिथि;

घ) संशोधन का विवरण और उसका प्रभाव या समाप्ति के कारण और उसका प्रभाव।

5A. **शेयरधारकों, प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, सूचीबद्ध संस्था या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आपस में या सूचीबद्ध संस्था के साथ या किसी तीसरे पक्ष के साथ, अकेले या संयुक्त रूप से किए गए समझौते, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या सूचीबद्ध संस्था पर कोई प्रतिबंध लगाना है या कोई देयता उत्पन्न करना है, स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष प्रकट किए जाएंगे, जिसमें ऐसे समझौतों के किसी भी निरसन, संशोधन या परिवर्तन का प्रकटीकरण भी शामिल है, चाहे सूचीबद्ध संस्था ऐसे समझौतों की पक्षकार हो या नहीं:**

बशर्ते कि किसी सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा सामान्य व्यवसाय के क्रम में किए गए ऐसे समझौतों का खुलासा करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध एंटीटी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना हो या उन्हें सेबी (एलओडीआर) विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार खुलासा करना आवश्यक न हो:

क) यदि सूचीबद्ध एंटीटी समझौते में पक्षकार है, तो

i. प्रतिपक्षों का विवरण (सूचीबद्ध इकाई के साथ नाम और संबंध सहित);

ख) यदि सूचीबद्ध इकाई समझौते में पक्षकार नहीं है, तो

i. ऐसा समझौता करने वाले पक्ष का नाम और सूचीबद्ध इकाई के साथ संबंध;

ii. समझौते में प्रतिपक्षों का विवरण (सूचीबद्ध इकाई के साथ नाम और संबंध सहित);

iii. समझौता करने की तिथि।

ग) समझौता करने का उद्देश्य;

घ) उस एंटीटी में शेयरधारिता, यदि कोई हो, जिसके साथ समझौता किया गया है;

ड़) समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें (संक्षेप में);

च) सूचीबद्ध एंटीटी के प्रबंधन या नियंत्रण पर प्रभाव की सीमा और प्रकृति;

छ) सूचीबद्ध एंटीटी पर लगाए गए प्रतिबंध या देयता का विवरण और परिमाणीकरण;

ज) क्या उक्त पक्ष किसी भी तरह से प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हां, तो संबंध की प्रकृति;

झ) क्या लेनदेन संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या यह "आर्म लेंथ" पर किया जाता है;

ट) पक्षों को शेयर जारी करने के मामले में, जारी मूल्य का विवरण, जारी किए गए शेयरों का वर्ग;

ठ) ऐसे समझौतों से संबंधित कोई अन्य प्रकटीकरण, अर्थात, सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशक मंडल में नामित व्यक्ति का विवरण, ऐसे समझौतों से उत्पन्न होने वाले हितों का संभावित टकराव, आदि;

ढ) रद्दीकरण, संशोधन या परिवर्तन के मामले में, सूचीबद्ध एंटीटी स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को अतिरिक्त विवरण का खुलासा करेगी:

i. समझौते के पक्षों का नाम;

ii. समझौते की प्रकृति;

iii. समझौते के निष्पादन की तारीख;

iv. संशोधन या परिवर्तन के विवरण और कारण और उसका प्रभाव (प्रबंधन या नियंत्रण पर प्रभाव और पहले निर्धारित प्रतिबंध या देयता पर प्रभाव सहित);

v. रद्दीकरण के कारण और उसका प्रभाव (प्रबंधन या नियंत्रण पर प्रभाव और पहले निर्धारित प्रतिबंध या देयता पर प्रभाव सहित)।

6. **किसी सूचीबद्ध संस्था, उसके प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन या सहायक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी या चूक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रवर्तक या निदेशक की गिरफ्तारी, चाहे वह भारत में हुई हो या विदेश में:**

6.1. धोखाधड़ी का पता लगने या चूक/गिरफ्तारी की घटना के समय:

क) धोखाधड़ी/चूक/गिरफ्तारी की प्रकृति;

ख) सूचीबद्ध एंटीटी पर अनुमानित प्रभाव;

ग) घटना का समय;

घ) इसमें शामिल व्यक्ति(व्यक्तियों);

ड़) इसमें शामिल अनुमानित राशि (यदि कोई हो);

च) क्या ऐसी धोखाधड़ी/चूक/गिरफ्तारी की सूचना उचित प्राधिकारियों को दी गई है।

6.2. इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को धोखाधड़ी/चूक/गिरफ्तारी के संबंध में आगे की जानकारी देनी होगी, जिसमें शामिल हैं:

क) धोखाधड़ी/चूक में शामिल वास्तविक राशि (यदि कोई हो);

ख) सूचीबद्ध एंटीटी और उसकी वित्तीय स्थिति पर ऐसी धोखाधड़ी/चूक का वास्तविक प्रभाव; और

ग) ऐसी धोखाधड़ी/चूक के कारण सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपाय।

7. **निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), वरिष्ठ प्रबंधन, लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन:**

7.1. परिवर्तन का कारण अर्थात नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्यथा;

7.2. नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/समाप्ति की तिथि (जैसा लागू हो) और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि;

7.3. संक्षिप्त प्रोफ़ाइल (नियुक्ति के मामले में);

7.4. निदेशकों के बीच संबंधों का खुलासा (निदेशक की नियुक्ति के मामले में)।

7ए. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 7ए में निर्दिष्ट है।

7बी. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 7बी में निर्दिष्ट है।

7सी. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 7सी में निर्दिष्ट है।

7डी. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 7डी में निर्दिष्ट है।

8. शेयर ट्रांसफर एजेंट की नियुक्ति या समाप्ति:

8.1. नियुक्ति या समाप्ति का कारण;

8.2. वह तिथि जिससे उपरोक्त प्रभावी होगा।

9. जैसा कि नीति की अनुसूची I के पैरा 9 में निर्दिष्ट है।

10. **बैंक के साथ एकमुश्त निपटान (ओटीएस):**

10.1. ओटीएस चुनने के कारण;

10.2. ओटीएस का संक्षिप्त सारांश।

11. किसी भी पक्ष/लेनदार द्वारा दायर समापन याचिका:

11.1. ऐसी याचिका के कारण;

11.2. सूचीबद्ध इकाई पर ऐसी याचिका का प्रभाव।

12. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या लेनदारों या उनमें से किसी भी वर्ग को भेजे गए नोटिस, कॉल लेटर, संकल्प और परिपत्र जारी करना या सूचीबद्ध इकाई द्वारा मीडिया में विज्ञापित किया जाना और निम्नलिखित:

12.1. नोटिस/कॉल लेटर/संकल्प आदि की तिथि;

12.2. संक्षिप्त विवरण जैसे प्रस्तावित एजेंडा (यदि कोई हो), पारित किया जाने वाला संकल्प, प्रस्तावित अनुमोदन का तरीका आदि।

13. सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही और संक्षेप में निम्नलिखित विवरण:

13.1. बैठक की तिथि;

13.2. विचार-विमर्श किए गए मदों और उनके परिणामों का संक्षिप्त विवरण;

13.3. कुछ मदों (ई-वोटिंग आदि) के लिए प्रस्तावित अनुमोदन का तरीका।

14. सूचीबद्ध इकाई के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों में संशोधन, संक्षेप में।

15. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 15 में निर्दिष्ट है।

16. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 16 में निर्दिष्ट है।

17. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 17 में निर्दिष्ट है।

18. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 18 में निर्दिष्ट है।

19. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 19 में निर्दिष्ट है।

20. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 20 में निर्दिष्ट है।

21. जैसा कि अनुसूची I के पैरा 21 में निर्दिष्ट है।

ख. <u>नीति की अनुसूची I के अनुसार भौतिकता परीक्षण के अधीन घटनाओं के लिए प्रकट किए जाने वाले विवरण</u>

1. किसी इकाई/प्रभाग के वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक परिचालन के आरंभ की तिथि में आरंभ या कोई स्थगन:

सूचीबद्ध इकाई किसी इकाई/प्रभाग के वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक परिचालन के आरंभ के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को अधिसूचित करेगी। ऐसे मामलों में जहां सूचीबद्ध इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन या परिचालन के आरंभ की तिथि की पूर्व सूचना दी है, सूचीबद्ध इकाई को आरंभ की तिथि के स्थगन के मामले में विवरण प्रकट करना आवश्यक होगा।

2. सूचीबद्ध इकाई से संबंधित निम्नलिखित में से कोई भी घटना:

2.1. रणनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण या विपणन गठजोड़ की व्यवस्था:

क) कंपनियों के साथ समझौता/संयुक्त उद्यम (संयुक्त उद्यम):

i. इकाई(यों) का नाम जिसके साथ समझौता/संयुक्त उद्यम हस्ताक्षरित है;

ii. समझौते/संयुक्त उद्यम का क्षेत्र;

iii. घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय;

iv. शेयर विनिमय अनुपात / संयुक्त उद्यम अनुपात;

v. समझौते / संयुक्त उद्यम के व्यवसाय संचालन का दायरा;

vi. समझौते / संयुक्त उद्यम में भुगतान / प्राप्त प्रतिफल का ब्यौरा;

vii. समझौते / संयुक्त उद्यम की महत्वपूर्ण शर्तें और नियम संक्षेप में;

viii. क्या अधिग्रहण संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएगा और क्या प्रमोटर / प्रमोटर समूह / समूह कंपनियों का अधिग्रहित की जा रही इकाई में कोई हित है? यदि हां, तो हित की प्रकृति और उसका ब्यौरा और क्या यह "आर्म लेंथ" पर किया गया है;

ix. इकाई (इकाइयों) का आकार;

x. औचित्य और अपेक्षित लाभ।

ख) यदि किसी भी कारण से ऐसी कोई व्यवस्था रद्द की जाती है, तो प्रस्ताव को रद्द करने के कारणों के साथ इसका खुलासा किया जाएगा।

2.2. व्यवसाय की नई लाइन (लाइनों) को अपनाना:

क) उद्योग या क्षेत्र जिससे व्यवसाय की नई लाइन संबंधित है;

ख) अपेक्षित लाभ;

ग) निवेश की जाने वाली अनुमानित राशि।

2.3. किसी इकाई, प्रभाग या सहायक कंपनी के परिचालन का बंद होना (संपूर्ण रूप से या टुकड़ों में):

क) ऐसी इकाई/प्रभाग की बिक्री के लिए किए गए ऐसे बाध्यकारी समझौते की तिथि, यदि कोई हो;

ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी इकाई या प्रभाग द्वारा योगदान की गई सूचीबद्ध इकाई के कारोबार या राजस्व या आय और निवल मूल्य की राशि और प्रतिशत;

ग) बंद होने की तिथि या बंद होने का अनुमानित समय;

घ) बंद होने के कारण।

3. क्षमता वृद्धि या उत्पाद लॉन्च

3.1. क्षमता वृद्धि:

क) मौजूदा क्षमता;

ख) मौजूदा क्षमता उपयोग;

ग) प्रस्तावित क्षमता वृद्धि

घ) प्रस्तावित क्षमता को जोड़ने की अवधि;

ङ) आवश्यक निवेश;

च) वित्तपोषण का तरीका

छ) औचित्य

3.2. उत्पाद लॉन्च:

क) उत्पाद का नाम;

ख) लॉन्च की तारीख;

ग) उत्पाद की श्रेणी;

घ) क्या यह घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों को पूरा करता है;

ड.) उन देशों के नाम जिनमें उत्पाद लॉन्च किया गया है (अंतर्राष्ट्रीय के मामले में)।

4. व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा, दिए गए/प्राप्त किए गए आदेशों/अनुबंधों को प्रदान करना, प्राप्त करना, उनमें संशोधन करना या उन्हें समाप्त करना:

4.1. **आदेश/अनुबंध प्रदान करना: केवल महत्वपूर्ण नियम व शर्तें जो निम्नलिखित हो सकती हैं, का खुलासा किया जाना आवश्यक है:**

क) उस इकाई का नाम जिसे ऑर्डर/अनुबंध दिया गया है;

ख) क्या ऑर्डर/अनुबंध घरेलू/अंतरराष्ट्रीय एंटीटी को दिया गया है

ग) दिए गए ऑर्डर/अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तें और नियम, संक्षेप में

घ) ऑर्डर/अनुबंध से जुड़ी समयावधि, यदि कोई हो;

ङ) ऑर्डर/अनुबंध का व्यापक वाणिज्यिक विचार या आकार

च) क्या प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का उस इकाई में कोई हित है जिसे ऑर्डर/अनुबंध दिया गया है? यदि हां, तो हित की प्रकृति और उसका ब्यौरा

छ) क्या यह संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या यह "आर्म लेंथ" पर किया जाता है।

4.2. **ऑर्डर/अनुबंध प्राप्त करना:** केवल महत्वपूर्ण नियम व शर्तें जो निम्नलिखित हो सकती हैं, का प्रकट किया जाना आवश्यक है:

क) आदेश/अनुबंध प्रदान करने वाली इकाई का नाम;

ख) संक्षेप में दिए गए आदेश/अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तें और नियम;

ग) क्या आदेश/अनुबंध घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय एंटीटी द्वारा प्रदान किए गए हैं;

घ) आदेश/अनुबंध की प्रकृति;

ङ) क्या घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय;

च) वह समय अवधि जिसके भीतर आदेश/अनुबंध निष्पादित किए जाने हैं;

छ) आदेश/अनुबंध का व्यापक विचार या आकार;

ज) क्या प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का उस इकाई में कोई हित है जिसने आदेश/अनुबंध प्रदान किए हैं? यदि हां, तो हित की प्रकृति और उसका ब्यौरा;

झ) क्या आदेश/अनुबंध संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएंगे? यदि हां, तो क्या यह "आर्म लेंथ" पर किया जाता है।

4.3. आदेशों/अनुबंधों का संशोधन या समाप्ति:

क) आदेश/अनुबंध के पक्षकारों के नाम;

ख) आदेश/अनुबंध की प्रकृति;

ग) आदेश/अनुबंध के निष्पादन की तिथि

घ) संशोधन का विवरण या समाप्ति के कारण और उसका प्रभाव (जहां तक संभव हो);

5. समझौते (अर्थात ऋण समझौते या कोई अन्य समझौते) जो बाध्यकारी हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, उनका संशोधन या संशोधन और समाप्ति: केवल महत्वपूर्ण नियम और शर्तें जो निम्नानुसार हो सकती हैं, का प्रकट किया जाना आवश्यक है:

क) उन पक्षों का नाम जिनके साथ समझौता किया गया है;

ख) समझौता करने का उद्देश्य;

ग) समझौते का आकार;

घ) उस इकाई में शेयरधारिता, यदि कोई हो, जिसके साथ समझौता किया गया है;

ङ) समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें (संक्षेप में) विशेष अधिकार जैसे निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार, शेयर जारी करने के मामले में शेयर सदस्यता का पहला अधिकार, पूंजी संरचना आदि में किसी भी बदलाव को प्रतिबंधित करने का अधिकार;

च) क्या उक्त पक्ष किसी भी तरह से प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हां, तो रिश्ते की प्रकृति;

छ) क्या लेनदेन संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएगा? यदि हां, तो क्या यह "आर्म लेंथ" पर किया जाता है;

ज) पक्षों को शेयर जारी करने के मामले में, जारी मूल्य का विवरण, जारी किए गए शेयरों की श्रेणी;

झ) ऋण समझौतों के मामले में, ऋणदाता/उधारकर्ता का विवरण, ऋण की प्रकृति, स्वीकृत/लिया गया ऋण की कुल राशि, कुल बकाया राशि, ऋण समझौते/स्वीकृति पत्र के निष्पादन की तिथि, ऐसे ऋण के लिए ऋणदाताओं/उधारकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण या किसी पक्ष को दिए गए या किसी पक्ष से उधार लिए गए बकाया ऋण संचयी आधार पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं;

ट) ऐसे समझौतों से संबंधित कोई अन्य प्रकटीकरण, अर्थात, सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में नामित व्यक्ति का विवरण, ऐसे समझौतों से उत्पन्न होने वाले संभावित हितों का टकराव, आदि;

ठ) समझौते की समाप्ति या संशोधन के मामले में, सूचीबद्ध इकाई स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को अतिरिक्त विवरण का खुलासा करेगी:

i. समझौते के पक्षों का नाम;

ii. समझौते की प्रकृति;

iii. समझौते के निष्पादन की तिथि;

iv. संशोधन का विवरण और उसका प्रभाव या समाप्ति के कारण और उसका प्रभाव।

6. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आग आदि), अप्रत्याशित घटना या हड़ताल, तालाबंदी आदि जैसी घटनाओं के कारण सूचीबद्ध इकाई की किसी एक या अधिक इकाई या प्रभाग के परिचालन में व्यवधान:

6.1. घटना के समय:

क) होने वाली हानि/क्षति की अपेक्षित मात्रा;

ख) क्या हानि/क्षति बीमा द्वारा कवर की गई है या नहीं, जिसमें राशि भी शामिल है;

ग) हड़ताल/तालाबंदी की स्थिति में उत्पादन/संचालन पर अनुमानित प्रभाव;

घ) वह कारखाना/इकाई जहां हड़ताल/तालाबंदी हुई है, जिसमें हड़ताल के कारण भी शामिल हैं।

6.2. नियमित रूप से, जब तक पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल न हो जाए:

क) सूचीबद्ध इकाई द्वारा हानि/क्षति के लिए दावा की गई और प्राप्त की गई बीमा राशि;

ख) प्राकृतिक आपदा या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुई क्षति की वास्तविक राशि;

ग) सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण तथा प्राकृतिक आपदा/अन्य अप्रत्याशित घटनाओं का इकाई के उत्पादन या सेवा, वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण।

7 सूचीबद्ध इकाई पर लागू नियामक ढांचे में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव।

8 **किसी भी मुकदमे या विवाद का लंबित होना या उसका परिणाम जिसका सूचीबद्ध इकाई पर प्रभाव पड़ सकता है:** सूचीबद्ध इकाई स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी कि वह या उसका निदेशक या उसके मुख्य प्रबंधन कर्मी या उसका वरिष्ठ प्रबंधन या उसका प्रमोटर या उसकी सहायक कंपनी किसी मुकदमेबाजी, मूल्यांकन, न्यायनिर्णयन, मध्यस्थता या विवाद में सुलह कार्यवाही में पक्षकार बनती है या सूचीबद्ध इकाई के खिलाफ या उसके पक्ष में पारित किसी भी अंतरिम या अंतरिम आदेश सहित किसी मुकदमेबाजी, मूल्यांकन, न्यायनिर्णयन, मध्यस्थता

या विवाद की स्थापना करती है, जिसके परिणाम का उचित रूप से प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। यदि चल रहे मुकदमों या विवादों में शामिल राशि संचयी आधार पर महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसे स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण - मांग नोटिस, दंड आदि सहित कर मुकदमे या विवाद, निम्नलिखित तरीके से भौतिकता के मानदंडों के आवेदन के आधार पर पैरा बी के उप-पैरा 8 के तहत प्रकट किए जाएंगे:

i. सूचीबद्ध इकाई द्वारा नोटिस प्राप्त होने से चौबीस घंटे के भीतर नए कर मुकदमे या विवादों का खुलासा।

ii. निर्दिष्ट प्रारूप में चल रहे कर मुकदमे या विवादों पर त्रैमासिक अपडेट।

iii. कर मुकदमे या विवाद, जिनके परिणामों में उच्च सहसंबंध होने की संभावना है, को प्रकटीकरण निर्धारित करने के लिए संचित किया जाना चाहिए।

8.1. पार्टी बनने के समय:

क) मुकदमे का संक्षिप्त विवरण जैसे विरोधी पक्ष का नाम, न्यायालय/न्यायाधिकरण/एजेंसी जहां मुकदमा दायर किया गया है, विवाद/मुकदमे का संक्षिप्त विवरण;

ख) मुआवजे, जुर्माना आदि के कारण अपेक्षित वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो;

ग) दावों की मात्रा, यदि कोई हो;

8.2. मुकदमा समाप्त होने या विवाद सुलझने तक नियमित रूप से:

क) ऐसी कार्यवाही के संबंध में स्थिति और/या किसी विकास में किसी परिवर्तन का ब्यौरा;

ख) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों या इसके प्रमोटर या नियंत्रण में अंतिम व्यक्ति के खिलाफ मुकदमेबाजी के मामले में, ऐसी कार्यवाही के संबंध में स्थिति और/या किसी विकास में किसी परिवर्तन का ब्यौरा नियमित रूप से उपलब्ध कराएं;

ग) कार्यवाही के निपटान की स्थिति में, ऐसे निपटान का ब्यौरा जिसमें निपटान की शर्तें, भुगतान किया गया मुआवजा/जुर्माना (यदि कोई हो) और सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय स्थिति पर ऐसे निपटान का प्रभाव शामिल है।

9. सूचीबद्ध एंटीटी के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी या चूक जिसका सूचीबद्ध एंटीटी पर प्रभाव पड़ा है या पड़ सकता है:

9.1. धोखाधड़ी का पता लगने या चूक/गिरफ्तारी की घटना के समय:

क) धोखाधड़ी/चूक/गिरफ्तारी की प्रकृति;

ख) सूचीबद्ध इकाई पर अनुमानित प्रभाव;

ग) घटना का समय;

घ) इसमें शामिल व्यक्ति;

ड.) इसमें शामिल अनुमानित राशि (यदि कोई हो);

च) क्या इस तरह की धोखाधड़ी की सूचना उचित अधिकारियों को दी गई है।

9.2. इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को धोखाधड़ी/चूक के बारे में आगे की जानकारी दें, जिसमें शामिल हैं:

क) धोखाधड़ी/चूक में शामिल वास्तविक राशि (यदि कोई हो);

ख) सूचीबद्ध एंटीटी और उसकी वित्तीय स्थिति पर इस तरह की धोखाधड़ी/चूक का वास्तविक प्रभाव;

ग) इस तरह की धोखाधड़ी/चूक के कारण सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपाय।

10. योजना शुरू करने और विकल्पों को निहित करने या प्रयोग करने के समय प्रतिभूतियों (किसी भी शेयर आधारित कर्मचारी लाभ (एसबीईबी) योजना सहित) को खरीदने के विकल्प:

क) दिए गए विकल्पों का संक्षिप्त विवरण;

ख) क्या योजना सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2021 (यदि लागू हो) के अनुसार है;

ग) इन विकल्पों द्वारा कवर किए गए शेयरों की कुल संख्या;

घ) मूल्य निर्धारण सूत्र;

ङ) निहित विकल्प;

च) वह समय जिसके भीतर विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है;

छ) प्रयोग किए गए विकल्प;

ज) विकल्पों के प्रयोग से प्राप्त धन;

झ) विकल्प के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले शेयरों की कुल संख्या;

ञ) समाप्त हो चुके विकल्प;

ट) विकल्पों की शर्तों में बदलाव;

ठ) महत्वपूर्ण शर्तों का संक्षिप्त विवरण;

ड) ऐसे विकल्पों में बाद में होने वाले परिवर्तन या रद्दीकरण या प्रयोग;

ढ) विकल्पों के प्रयोग पर इक्विटी शेयरों के निर्गम के परिणामस्वरूप प्रति शेयर आय में कमी।

11. किसी तीसरे पक्ष के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति देना या ज़मानत बनना, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए:

क) उस पक्ष का नाम जिसके लिए ऐसी गारंटी या क्षतिपूर्ति या ज़मानत दी गई थी;

ख) क्या प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का इस लेन-देन में कोई हित है? यदि हाँ, तो हित की प्रकृति और उसका विवरण और क्या यह “आर्म लेंथ” पर किया गया है;

ग) ऐसी गारंटी या क्षतिपूर्ति या ज़मानत बनने का संक्षिप्त विवरण अर्थात किए गए समझौते का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो) जिसमें महत्वपूर्ण नियम और शर्तें शामिल हैं, जिसमें गारंटी की राशि भी शामिल है;

घ) सूचीबद्ध इकाई पर ऐसी गारंटी या क्षतिपूर्ति या ज़मानत का प्रभाव।

किसी तीसरे पक्ष के लिए बकाया गारंटी, क्षतिपूर्ति या ज़मानत के रूप में शामिल राशि संचयी आधार पर महत्वपूर्ण हो जाने की स्थिति में गारंटी या क्षतिपूर्ति देने या ज़मानत बनने के लिए उपरोक्त विवरण, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसमें कंफर्ट लेटर, साइड लेटर आदि शामिल हैं, का भी खुलासा करना आवश्यक होगा।

12. प्रमुख लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्रदान करना, वापस लेना, समर्पण करना, रद्द करना या निलंबित करना:

क) विनियामक या लाइसेंसिंग प्राधिकरण का नाम;

ख) प्राप्त/वापस लिए गए/समर्पित किए गए अनुमोदन/लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण;

ग) सूचीबद्ध इकाई पर ऐसे अनुमोदन/लाइसेंस का प्रभाव/प्रासंगिकता;

घ) विनियामक या लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस/अनुमोदन को वापस लेना/रद्द करना या निलंबित करना, ऐसी कार्रवाई के कारणों के साथ, सूचीबद्ध इकाई पर अनुमानित प्रभाव (मौद्रिक या अन्यथा) और जुर्माना, यदि कोई हो;

ड.) वह अवधि जिसके लिए ऐसा अनुमोदन/लाइसेंस वैध है/था;

च) इसके बाद, सूचीबद्ध इकाई स्टॉक एक्सचेंज को प्रमुख लाइसेंस/अनुमोदन को वापस लेने, रद्द करने या निलंबित करने के अनुसरण में सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों के साथ वास्तविक प्रभाव (मौद्रिक या अन्यथा) की जानकारी देगी।

13. किसी भी विनियामक, वैधानिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकरण को जुर्माना, दंड, बकाया आदि के भुगतान में देरी या चूक:

क) प्राधिकरण का नाम;

ख) जुर्माना, दंड, बकाया आदि का विवरण, जिसमें राशि भी शामिल है;

ग) भुगतान की देय तिथि;

घ) भुगतान में देरी या चूक के कारण;

ङ) सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, जहां तक संभव हो मौद्रिक रूप में परिमाणात्मक। उपर्युक्त के अतिरिक्त, जुर्माना, दंड, बकाया आदि के भुगतान पर भुगतान की तिथि और भुगतान की गई राशि सहित भुगतान का विवरण प्रकट किया जाएगा।

अनुलग्नक-II

असूचीबद्ध कंपनियों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण का प्रकटीकरण

अनुसूची-I के पैरा 1 के अनुसार तिमाही के दौरान असूचीबद्ध कंपनियों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	उस असूचीबद्ध कंपनी का नाम जिसमें शेयर या वोटिंग अधिकार अर्जित किए गए हैं	अधिग्रहण की तिथि	पिछली तिमाही के अंत में कुल होल्डिंग (शेयर या वोटिंग अधिकार %)	तिमाही के दौरान अर्जित किए गए शेयर या वोटिंग अधिकार %	तिमाही के अंत में कुल होल्डिंग (शेयर या वोटिंग अधिकार %)

अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा |

अनुलग्नक-III

जुर्माना या दंड लगाने का खुलासा

अनुसूची I के पैरा 20 के अनुसार तिमाही के दौरान जुर्माना या दंड लगाने का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्राधिकरण का नाम	कार्रवाई या पारित की गई आदेश की प्रकृति और विवरण	निर्देश या आदेश मिलने की तारीख, जिसमें कोई अंतरिम या अंतरिम आदेश, या अथॉरिटी से कोई अन्य सूचना शामिल है	किए गए या किए जाने का आरोप लगाए गए उल्लंघन/उलंघन का विवरण	सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, जहां तक संभव हो मौद्रिक रूप में परिमाणात्मक

एक नवरत्न कंपनी

अनुलग्नक-IV

चल रहे कर मुकदमों या विवादों के अद्यतन का प्रकटीकरण

अनुसूची II के पैरा 8 के अनुसार कर मुकदमों या विवादों के अद्यतन नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	विरोधी पक्ष का नाम	मुकदमा/ विवाद आरंभ करने की तिथि	अंतिम प्रकटीकरण के अनुसार मुकदमे/विवाद की स्थिति	मुकदमे/विवाद की वर्तमान स्थिति

अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा |

संस्करण नियंत्रण तालिका

प्रभावी तिथि	संस्करण	संशोधन
01.12.2015	1.0	नीति मूल रूप से 390वीं बोर्ड बैठक में दी गई शक्तियों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से अपनाई गई थी।
17.04.2017	2.0	निदेशक मंडल द्वारा उनकी 403वीं बैठक में संशोधित किया गया।
07.10.2020	3.0	बोर्ड द्वारा सौंपी गई शक्तियों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से संशोधित किया गया।
11.08.2023	4.0	निदेशक मंडल द्वारा उनकी 469वीं बैठक में संशोधित।
06.01.2025	5.0	बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से संशोधित।